न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 15/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/179**
दायर दिनांक :– 25.01.2023 **निर्णय दिनांक :– 29.09.2025**

1. मोतीराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील, घंटियाली जिला फलोदी
2. नरूराम पुत्र मेगाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. पांचाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. बनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. गोमदराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. चिकित्सा अधिकारी उप. स्वास्थ्य केन्द्र चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 2.6305 हैक्टेयर भूमि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का घंटियाली में आई हुई है। मूल खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 28–15 बीधा यानि 4.6539 हैक्टेयर अनुसार दर्ज थी। उक्त मूल खसरा नम्बर में से 2–10 बीधा भूमि दिनांक 22.09.1995 को कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमाणा के लिये आवंटित की गई थी जिसके आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमाणा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 556 मौजा चिमाणा भरा जाकर स्वीकृत हुआ और राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खाता अलग–अलग कायम कर दिया गया लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा में सामलाती ही दर्ज रही है। वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमाणा के नाम से सेग्रीकेशन योजना के तहत राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा नक्शा में तरमीम अलग कर दी गई है लेकिन उक्त तरमीम उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमाणा का जहां पर निर्माण हो रखा है वहां पर नहीं कर अन्य स्थान पर कर दी गई जो सरासर गलत है। उप स्वा. केन्द्र की जहां वर्तमान तरमीम की गई है वहां पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा व काश्त है तथा प्रार्थीगण के द्वारा अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है प्रार्थीगण द्वारा दुकानों का निर्माण भी करवा रखा है। प्रार्थीगण अपनी रहवासीय ढाणियों में अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम

29/9/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

चिमाणा के खसरा नम्बर 373/2 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में अप्रार्थी संख्या 2 के भवन निर्माण के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार घंटियाली ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 373 रकबा 4.6539 हैक्टेयर भूमि में से कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश कमांक/राजस्व/आवंटन/63/ उप.स्वा.केन्द्र/95/5138 दिनांक 22.09.1995 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 556 के द्वारा उप स्वा. केन्द्र रकबा 0.4047 हैक्टेयर दर्ज किया गया। वर्तमान में उप स्वा. केन्द्र की तरमीम भवन निर्माण से अन्य स्थान पर हो रखी है। तहसीलदार घंटियाली के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में आवंटन आदेश अनुसार भवन निर्माण के विपरित की गई है जिसे वर्तमान में निर्मित भवन जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का चिमाणा एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क "ए" अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 373/2 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का चिमाणा एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/25

(सुखराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)